रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 1987/आषाढ़ 29, 1909
No. 158] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 1987/ASADHA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 203 आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1987

विषय : —विदेशी ऋण/क्रेडिटों/अनुदान—के मद्दे सीधे ही भुगतान करने की कार्यविधि के अन्तर्गत आयातकों से जमा रुपये का वसूली—लेन-देन को पूर्ण रुपये में पूर्णांकित करना।

फा.सं. आई पी सी 23(37)/85-88.—विदेशी ऋण/क्रेडिटों/अनुदान के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तों में इस बारे में एक विशिष्ट धारा यह भी है कि ऐसे मामलों में जहां सीधे भुगतान वचन बद्धता की कार्यविधि का अनुपालन किया जाता है और आयातित माल और सेवाओं

की कीमत विदेशी ऋणों/क्रेडिटों/अनुदानों में से सीधे ही अदा कर दी जाती है तो वहां लेने देने की तारीख को लागू विनिमय की संयुक्त दर पर परिगणित आयातित माल का मूल्य रुपये में आयातकों के बैंकरों द्वारा दस्तावेजों के परक्राम्य सेट की प्राप्ती की तारीख से 10 दिन के भीतर भारत सरकार के लेखे में जमा कराना चाहिए।

2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, के कार्यालय ज्ञापन सं०-एफ. 23 (8)-ई-2(क)/86, दिनांक 26-6-86 के तहत सरकारी लेखे में, वास्तविक प्राप्ति/भुगतान आदि को पूर्ण रुपये में करते हुए, सभी सरकारी लेन-देन को रफादफा करने के लिए सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में देय जमा रुपये का भुगतान 1-4-87 से पूर्व रुपये में ही किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर जमा राशि का भुगतान न होने पर ब्याज का भुगतान भी पूर्ण रुपये में ही किया जाना चाहिए। लेन-देन की गणना करते समय 50 पैसे या अधिक पैसों को अगले रुपये के रूप में गिना जाएगा और 50 पैसे से कम के लेन-देन को छोड़ दिया जाएगा।

3 सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 में निहित अनुदेश उपर्युक्त आशोधनों के साथ लागू होते रहेंगे।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
मंजुला सुब्राहमणियम,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 203—ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 20th July, 1987

Sub : Recovery of rupee deposits from importers under the Direct Payment Procedure against foreign loans/credits/grants—Rounding off of transactions in whole rupees—regarding.

F. No. IPC/23(37)/85—88.—Licensing conditions applicable to the import licences issued under foreign loans/credits/grants, contain a specific clause to the effect that the rupee value of the goods imported, calculated at the composite rate of exchange applicable to the date of transaction should be deposited to the account of the Government of India within 10 days from the date of receipt of the negotiable set of documents by the importer's bankers, in cases where direct payment/commitment procedure is followed and the cost of goods imported and services are paid for directly out of the foreign loans/credits grants.

2. Consequent upon the decision of the Government to reflect all Govt. transactions involving actual receipts|payments etc. in Government accounts in whole rupees vide Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. F. 23(8)-E.II(A)|86 dated 26-6-1986, it has been decided that the rupee deposits payable to the account of the Government of India in terms of the aforesaid licensing conditions, should, as from 1-4-1987, be made in whole rupees.The interest payments arising on account of non-payment of deposits within the prescribed period should also be made in whole rupees. In computing the transactions, fractions of fifty paise or above is to be rounded off to the next rupee and a transaction of loss than fifty paise is to be ignored.

3. The instructions contained in Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-1983 will continue to be in force with the above modification.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.
MANJULA SUBRAMANIAM,
Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987